

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी अवन, अटल नगर  
जिला-शायपुर (छ.ग.)

क्र. 4429

क्र...../एफ-2-28/31/एस-2/2019,

अटल नगर, दिनांक 16/10/2019

प्रति

मुख्य अभियंता,  
महानदी परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बस्तर जिले के विकासखंड-बकावंड की उलनार जलाशय शीर्ष एवं नहर मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य का प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-460 / बो.प्र./ प्रशास्त्रीय/ 2018/ 9970, रायपुर, दि. 06.08.2019.

—००—

राज्य शासन एतद द्वारा बस्तर जिले के विकासखंड-बकावंड की उलनार जलाशय शीर्ष एवं नहर मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 230.49 लाख (रुपये दो करोड़ तीस लाख उनचास हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्य के पश्चात् 188.60 हेक्टेयर कमी की पूर्ति एवं अतिरिक्त 21 हेक्टेयर सहित सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41-लेखा शीर्ष-4702, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}, -सतही जल, 0102-अनुसूचित जनजाति उप योजना, (3828) लघु सिंचाई योजना #97-निर्माण कार्य, 003 बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 17.09.2019 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के दाज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

16/10/19  
( याकूब खेट्टा )  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. ५५३० / एफ-२-२८/३१ / एस-२/२०१९,

अटल नगर, दिनांक १६/१०/२०१९

प्रतिलिपि :-

- १ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- २ निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- ३ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ४ अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ५ सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ६ महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ७ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ८ कलेक्टर, जिला—बस्तर (छ.ग.)।
- ९ संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- १० प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, नवा रायपुर—अटल नगर।
- ११ उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम ४-२२ अटल नगर।
- १२ अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- १३ अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर, जिला—बस्तर (छ.ग.)।
- १४ कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर, जिला—बस्तर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- १५ आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग -  
